

अंतिम डिक्री बमुकदमे इबतदाई

(ऑर्डर 20, एच 8-7, जाका दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
व इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

नरेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 136/2021

निर्णय दिनांक :- 22.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिर्माल कतई स्वयं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी बाबी स्वयं पैसा लेने पर आवेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वाक्यत्र बाबी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबी-बलि सम्बन्धित लेख से स्वीकार किया जाकर चक 9 एस ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 35 में नरेन्द्र सिंह पूर्ण हिस्सा रहन एस.बी.बी.जे. शाखा केसरीसिंहपुर के स्थान पर नरेन्द्र सिंह पूर्ण हिस्सा रहन एस.बी.आई. शाखा केसरीसिंहपुर अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 22.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुदबई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
	02	00	योग	00	00



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर
दिनांक: 30/11/21

क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 487

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर